न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 36 / 2022

काला सिंह पुत्र लाना सिंह जाति राय सिक्ख निवासी खेडली अलीमुद्दीन तहसील पहाडी (भरतपुर) राज0

वादी

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी जिला भरतपुर

प्रतिवादी

2. दिलावर सिंह पुत्र लाना सिंह
3. करमकौर पुत्री लाना सिंह जाति राय सिक्ख निवासी खेडली अलीमुद्दीन तहसील पहाडी (भरतपुर) राज0

तरतीवी प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 15,88,89, आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री प्रहलाद सिंह वकील वादी

दिनांक :– 10 / 03 / 2022

निर्णय

वादी द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 15, 88,89, आर0टी0एक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर साविक 82 / 0.29, 23 / 0.34, 202 / 0.23, 205 मिन / 0.47, 206 / 0.45, 30 / 0.29, 249 / 0.05, 250 / 0.02, 251 / 0.45, 72 / 0.62, हाल खसरा नम्बर 100 / 0.29, 26 / 0.34, 287 / 0.23, 291 / 0.47, 292 / 0.45, 33 / 0. 29, 346 / 0.05, 347 / 0.02, 348 / 0.45, 85 / 0.62 बांके ग्राम खेडली अलीमुद्दीन तहसील पहाडी में स्थित है। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 के हक आराजी में समान है वक्त दावा दायरी के प्रतिवादीगण 2 व 3 न्यायालय श्रीमान के समक्ष उपस्थित नहीं होने के कारण उन्हे तरतीवी प्रतिवादी बनाया गया है। मृत्तक राना सिंह के दो पुत्र एवं एक पुत्री वारिसान है जो कि वादपत्र में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 है। विवादित आराजी पूर्व में वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण के पिता लाना सिंह पुत्र मंशा सिंह की कब्जे काश्त की गैर मौरोसी की आराजी थी। जिस पर पिता लाना सिंह अपने सम्पूर्ण जीवन काल तक वहैसियत खातेदार काश्तकार के रूप में काश्त की और पिता लाना सिंह के फौत होने के बाद से अब लाना सिंह के वारिसान वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण की कब्जे काश्त चली आ रही है और मौके पर वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण की सरसों व गेहूँ की फसल खडी है। विवादित आराजी राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के लागू होने के पूर्व से ही वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण के बुर्जगान की कब्जे

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

काश्त की आराजी थी जिस पर सम्पूर्ण जीवन काल तक बुजुर्गान ने काश्त की ओर अब वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण काबिज काश्त है। इस प्रकार आराजी वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण की पुश्तैनी आराजी है। जो कि धारा 16 के तहत नहीं आती है। आराजी राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के लागू होने से पूर्व से ही वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण के बुजुर्गान की गैर मौरोसी का रकबा था जिसे कानूनन रिकॉर्ड में खातेदार दर्ज कर देना चाहिए था लेकिन आज भी वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण का नाम गैरखातेदार के रूप में दर्ज होता चला आ रहा है। इस प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में चले आ रहे गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन करा पाने के अधिकारी है। वादी को दावा पेश करने से पूर्व न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) जा0दी0 प्रस्तुत कर सरकार के विरूद्ध दावा पेश करने की अनुमति ले ली है। वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण विवादित आराजी पर मुताबिक हिस्सा खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज है ।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी ने न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 17/02/22 को वादीग के दावा को स्वीकार करते हुये । जबाब पेश किया कि आराजी वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण की पुश्तैनी आराजी है जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से ही वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण बुजुर्गान पिता लाना सिंह पुत्र मंशाा सिंह के रूप में काबिज काश्त थे । अब वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण का मुताबिक हिस्सा आराजी पर कब्जा काश्त है। आराजी पर वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण की फसल खडी हुई है इस प्रकार आराजी वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण की पुश्तैनी आराजी है ।मुताबिक कानून वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण को राजस्व रिकॉर्ड में गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन कर खातेदार दर्ज किया जाना न्यायोचित होगा। उक्त आराजी धारा 16 के तहले नहीं आती है। जिस पर वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण को मुताबिक हिस्सा खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड किया जाना न्यायहित में है।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई ।

तनकी संख्या 1 :– आया आराजी वादी की बुजुर्गान की आराजी है।

.....वादीगण

तनकी संख्या 2 :– आया आराजी को वादी अपने नाम खातेदार दर्ज रिकॉर्ड करा पाने के अधिकारी है।

.....वादीगण

3 :– दादरसी ।

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में पी0डब्लू0 1 काला सिंह के शपथ पत्र पेश किये। दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल जमाबन्दी सम्वत 2013–16, 2017–20, 2021–24, 2025–28, 2029–32, 2033–36, 2037–40, 2042–45, 2046–49, 2050–53, 2054–57, 2058–61, 2075–78 एवं नकल खसरा गिरावरी सम्वत 2007–10, 2010–13, व मिलान क्षेत्रफल पेश किये।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

बहस वकील वादीगण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने अपने दावे में दर्ज तथ्यों को दोहराया ।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। तनकीबार विवेचन निम्नानुसार है।

<u>तनकी संख्या :– 1</u> आया आराजी वादी की बुजुर्गान की आराजी है।

उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार वादी पर हैं। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं जबाब तहसीलदार के मुताबिक आराजी वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण के पिता लाना सिंह पुत्र मंशा सिंह की आराजी है। पत्रावली में संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2013–16 में आराजी वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण के पिता लाना सिंह पुत्र मंशा सिंह की आराजी थी। वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण के बुजुर्ग लाना सिंह पुत्र मंशा सिंह के गुजरने के बाद वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण ने वारिसान के रूप में काश्त की वर्तमान में वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण का मुताबिक हिस्सा कब्जा काश्त है। आराजी पर वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण के पिता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने के पूर्व से ही गैर मौरोसी राजस्व रिकॉर्ड इन्द्राज है। आराजी वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण की पुश्तैनी आराजी है। तहसीलदार पहाडी ने भी अपने जबाब में स्वीकार किया है कि आराजी वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण की पुश्तैनी आराजी है। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी वाहक वादी निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या :– 2</u> आया आराजी को वादी अपने नाम खातेदार दर्ज रिकॉर्ड करा पाने के अधिकारी है।

उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार वादी पर हैं। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं जबाब तहसीलदार पहाडी के मुताबिक वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण के पिता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने से पूर्व ही आराजी पर काबिज काश्त है। आराजी वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण की पुश्तैनी आराजी है। वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण का कब्जा व काश्त है एवं आराजी धारा 16 के अधीन नहीं आती है। ऐसी स्थिति में आराजी को वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण अपने नाम खातेदार दर्ज रिकॉर्ड करा पाने के अधिकारी है। उक्त तनकी वाहक वादी निर्णित की जाती है।

3. **दादरसी** :– तनकी संख्या 1 व 2 वादी के पक्ष में निर्णित हो गई है ऐसी स्थिति में दावा वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

दावा वादी डिक्री किया जाकर वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण को आराजी खसरा नम्बर साविक 82/0.29, 23/0.34, 202/0.23, 205 मिन/0.47, 206/0.45, 30/0.

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

29, 249/0.05, 250/0.02, 251/0.45, 72/0.62, हाल खसरा नम्बर 100/0.29, 26/0.34, 287/0.23, 291/0.47, 292/0.45, 33/0.29, 346/0.05, 347/0.02, 348/0.45, 85/0.62 बांके ग्राम खेडली अलीमुद्दीन तहसील पहाडी पर गैरखातेदार के स्थान पर वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण को 1/3–1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पूर्व में चले आ रहे गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन किये जाने की आज्ञा दी जाती है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10/03/2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर).

न्यायालय उपखण्ड पहाड़ी (उप जिला कलेक्टर)